UPAZ010024342026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः अजय कुमार शाही (एच०जे०एस०)

J.O. Code–U.P.6082

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1033/2026

1–फूलचन्द उम्र लगभग 60 साल पुत्र गनेश,
2–श्रीमती रमावती उम्र लगभग 58 साल पत्नी फूलचन्द,
3–संजीव कुमार उम्र लगभग 25 साल पुत्र फूलचन्द,
समस्त साकिनानः– सुबाष चन्द्रबोष नगर वार्ड नं०–2, आजमगढ़, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। ..... **आवेदकगण/अभियुक्तगण।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी**

दिनांक:–09.04.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. जेल में निरूद्ध आवेदकगण/अभियुक्तगण **फूलचन्द, श्रीमती रमावती व संजीव कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**523/2025** अन्तर्गत धारा–**85, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 डी.पी. एक्ट** थाना **कोतवाली** जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा के तहत दिनांक–09.03.2026 से जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में **निर्मला** द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं।

3. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि"** मैं प्रार्थी शिवदत्त पुत्र इन्द्रदेव ग्राम – काजीपुर बस्ती (कादीपुर) पोस्ट सुरहरपुर मुहम्मदाबाद गोहना, थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ का स्थायी निवासी हूँ। मेरी बेटी सुरेता की शादी दिनांक–25/11/2025 को सुबाष बोस नगर वार्ड न 02 नगर पंचायत अजमतगढ़ मे जगदीश कुमार उर्फ छांगुर पुत्र फूलचन्द के साथ सम्पन्न हुई जिसे दहेज के अन्य समानो के साथ साथ एक होण्डा मोटर सायकिल भी दी गयी थी। उसके बाद परिवार के सदस्यो जिनमें लड़की की सास रमावती ससुर फूलचन्द व देवर संजीव कुमार के साथ मिलकर लड़की के पति जगदीश कुमार उर्फ छागुर द्वारा लड़की को बड़ी गाड़ी व नगदी के लिए प्रताडित किया जाने लगा जिसकी सूचना लड़की ने स्वयं माता पिता को दिया और बताया कि इन सबो के द्वारा मेरे जान माल का खतरा है। आज सुबह दिनांक 23/12/2025 को लड़के के पिता द्वारा हमे यह सूचना दीगयी कि लड़की की तबीयत खराब है और डाक्टर जवाब दे चुके हैं, मौके पर आने के बाद यह देखा गया कि लड़की मृत पड़ी है और घर का दरवाजा टूटा पड़ा है तथा मौके से लड़का सहित उसके माता–पिता व देवर फरार है। मुझे उम्मीद है कि लड़की की

Digitally signed by AJAY KUMAR SHAHI
Date: 2026.04.09 19:16:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हत्या कर दी गयी है। उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर मेरी लड़की की हत्या कर दी है। आवश्यक कार्यवाही करें।"

4. **आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है** कि" प्रार्थीगण निर्दोष है, फर्जी तरीके से झूठे अपराध में प्रार्थीगण को झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रश्नगत अपराध का कोई भी स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रश्नगत अपराध की घटना एण्टीटाईम एण्टीडेटेड रिपोर्ट विधिक राय मशविरे से दर्ज करायी गयी है। प्रश्नगत अपराध में प्रार्थीगण दिनांक–09.03.2026 से जिला जेल आजमगढ़ में बन्द है। प्रश्नगत अपराध में प्रार्थीगण की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। मृतका शादी से पहले ही मानसिकि रूप से बीमार थी। उसकी दवा इलाज वादी मुकदमा बनारस से कर रहे थे। शादी के बाद भी वादी मुकदमा मृतका को दवा लाकर मृतका की ससुराल में लाकर देते थे। इस बात का जिक्र वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया है। बीमारी से तंग आकर परेशान होकर मृतका ने ससुराल में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी, इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। प्रार्थीगण के तरफ से वादी मुकदमा व पुलिस को सूचित किया गया, वादी मुकदमा हम प्रार्थीगण की एक भी बात नहीं सुने, थाने में जाकर झूठी एफ.आई.आर दर्ज करा दिए। प्रार्थीगण मृतका से न ही कभी दहेज की मांग किए, न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किए और न ही दहेज के लिए उसकी हत्या किए, मृतका स्वयं आत्महत्या किया है। मृतका की इच्छा के विपरीत उसके माता–पिता ने शादी कर दिया। मृतका से कब और कहां और क्या दहेज में मांगा गया, इस बात का जिक्रा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और न ही मृत्यु से पहले वादी मुकदमा द्वारा व मृतका द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध कहीं पर कोई शिकायती प्रार्थनापत्र दिया गया। प्रार्थीगण का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण सास, ससुर, व देवर है, प्रार्थीगण का पूर्व में कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण कहानी झूठी आधारहीन एवं बनावटी है। अभियोजन पक्ष की कहानी में रंचमात्र की सच्चाई नहीं है। प्रार्थीगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगं, विवेचना व विचारण में सहयोग करेंगे। न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करेगें। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण को उचित जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण को उचित जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।"

5. **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण प्रकरण में नामजद है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में असामान् परिस्थितियों में

हुई है तथा सात वर्ष के अंदर हुई है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों/पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की मांग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं जहर खिलाकर उसकी हत्या करने का आक्षेप है, जिसके कारण वादी मुकदमा की पुत्री की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गयी। विवाह के एक माह के अंदर पीड़िता की मृत्यु अपने ससुराल में हुई है। पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर, वाराणसी की रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें विसरा के अंश (1–5) क्रमश स्टमक, आंत, लिवर, किडनी व स्पलीन के टुकड़ों में अल्युमीनियम फास्फाईड विष पाया गया है। जबकि आवेदकगण/अभियुक्तगण का कथन है कि वे निर्दोष है। अभिलेख के अनुशीलन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा शिवदत्त का बयान दर्ज किया गया है जिसने अपने बयान में अभियुक्तगण के द्वारा उसकी लड़की को बड़ी गाड़ी व नगदी के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी सूचना लड़की ने स्वयं उन लोगों को दिया और बताया कि अभियुक्तगण से उसे जान–माल का खतरा है। मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में शादी के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है जिससे प्रथमदृष्टया उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को बल मिलता है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हु अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **फूलचन्द, श्रीमती रमावती व संजीव कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–523/2025 अन्तर्गत धारा–85, 80(2) **बी.एन.एस. व 3/4 डी.पी. एक्ट** थाना **कोतवाली** जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–09.04.2026

(अजय कुमार शाही)
JO CODE– UP6082
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।